

06.

1.2025:

—पत्रावली आज मिशाल प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपना मूल वादपत्र विद्वा करवा चुके हे। मूल वाद पत्र विद्वा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

01/25  
सचिव कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़